



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 647]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 21, 2017/आषाढ़ 30, 1939

No. 647]

NEW DELHI, FRIDAY, , JULY 21, 2017/ASADHA 30, 1939

I kekftd U; k; vkj vf/kdkfjrk ea=ky;

1/fn0; kktu I 'kfDrdj.k folkkx½

'kf) i =

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2017

I k-dk-fu- 939½/½—भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 591(अ), तारीख 15 जून, 2017 में,—

- 1) पृष्ठ 9 की पंक्ति 1 में "1 जनवरी को 60 वर्ष का होना चाहिए" के स्थान पर "1 जनवरी को 60 वर्ष से अधिक आयु का न हो", और
- 2) पृष्ठ 9 की पंक्ति 13 में "1 जनवरी को 56 वर्ष का होना चाहिए" के स्थान पर "1 जनवरी को 56 वर्ष से अधिक आयु का न हो", पढ़ा जाए।

[फा. स. 03-01-2017-डीडी -III]

डौली चक्रवर्ती, संयुक्त सचिव